

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 25 अप्रैल, 2019

सा.का.नि. (अ)- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2019-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 262 (अ) दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित गया था, के -

(क) पृष्ठ 138 पर,

पंक्ति 20 में, सारणी के कॉलम (5) में, शब्द "कर" के स्थान पर "संघ राज्य कर" पढ़ें; और
पंक्ति 22 में, सारणी के कॉलम (5) में, शब्द "अठारह" के स्थान पर "नौ" पढ़ें;

(ख) पृष्ठ 162 पर, पंक्ति 4 में, "18" के स्थान पर "18 (9+9)" पढ़ें;

(फाइल संख्या 354/32/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार